

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक
सेवा में,

802

/14-1(एन0एच0-330डी)

हरदोई

दिनांक-

8-9-2023

प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सीतापुर।

विषय:-

सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330 डी) किमी 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में प्रभावित सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-586/11-सी- FP/UP/Road/146875/2021 दिनांक-04-09-2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में हरदोई वन प्रभाग से सम्बन्धित विषयगत परियोजना में लायी गयी बिन्दुवार कमियों के निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु सं०	आपत्ति	आख्या
1	प्रभागीय वनाधिकारी का संस्तुति का पूर्ण हिन्दी भाग-2 आनलाइन अपलोड नहीं है।	प्रभागीय निदेशक का संस्तुति का पूर्ण हिन्दी भाग-2 आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	पूर्ण प्रस्ताव की एक सिंगल पी०डी०एफ० फाइल एवं Covering Letter एवं चेक लिस्ट कालम में टिक (✓) करके चेक लिस्ट पुनः अपलोड नहीं है।	पूर्ण प्रस्ताव की एक सिंगल पी०डी०एफ० फाइल एवं Covering Letter एवं चेक लिस्ट कालम में टिक (✓) करके चेक लिस्ट Additional information Detail में पुनः अपलोड कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शशिकान्त अमरेश)

प्रभागीय निदेशक,

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,

हरदोई।

पत्रांक-...../उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र० लखनऊ।

2- अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०विभाग, सीतापुर।

(शशिकान्त अमरेश)

प्रभागीय निदेशक,

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,

हरदोई।